(2)

परियोजना का नाम :-- प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजना के अन्तर्गत बादसी गौलोकधाम खाण्ड मोटर मार्ग से कटखन मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रतिवेदन

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मन्त्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आय और उत्पादन रोजगार अवसरों के अधिक मात्रा में सृजन एवं स्थायी रूप से गरीबी निवारण करने के उद्देश्य से पर्वतीय क्षेत्र में 250 से अधिक आवादी वाले असंयोजित बसावटों को किसी भी बारहमासी सम्पर्क मार्ग से जोड़ने का कार्यक्रम संचालित किया गया है। उक्त के क्रम में सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक :- 1414/पी03-14/यू0आर0आर0डी0ए0/14, दिनांक 07 नवम्बर 2014 के द्वारा उपरोक्त मोटर मार्ग प्रधान मन्त्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत अनुमोदित किया गया हैं। (शासनादेश की फोटो प्रति संलग्न है।)

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बसावट कटखण (लक्षित) (Popu. 251) की आबादी अभी तक किसी भी मोटर मार्ग से नहीं जुड़ा है। उन्नत कृषि भूमि होने के कारण क्षेत्र की जनता का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है, परन्तु यातायात की सुविधा न होने से कास्तकारों को अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है साथ ही यातायात के साधन न होने से सरकार द्वारा घोषित विभिन्न विकास कार्य भी क्षेत्र में सुगमता पूर्वक संचालित नहीं हो पाते है। अन्य रोजगार के साधन न होने से बेरोजगार युवाओं का शहरों की ओर पलायन हो रहा है। मोटर मार्गा निर्माण हो जाने से जहां युवाओं के लिए नये रोजगार के अवसर स्थानीय स्तर पर ही प्राप्त हो सकेंगे, वहीं सरकार की विकास योजनायें भी सुगमता से संचालित हो सकेंगी।

उल्लेखनीय है कि पर्वतीय क्षेत्र में कास्तकारों की नाप भूमि के अतिरिक्त समस्त प्रकार की भूमि को वन भूमि श्रेणी में ले लिया गया है। इस मार्ग के संरेखण में नाप भूमि 1.205 है0, सिविल सोयम भूमि 0.120 है0 एवं आरक्षित वनभूमि 0.770 है0, कुल भूमि 0.890 है0 प्रभावित हो रही है जो न्यूनतम एवं अपरिहार्य है तथा यह भी उल्लेखनीय है कि परियोजना हेतु वृक्षो की गणना 7/9 मीटर मे की गई है जो की वास्तविक रुप से पातन किये जाने है। भूमि अधिग्रहण आरक्षित वन भूमि व सिविल सोयम भूमि में 7 मीटर एवं नाप भूमि में पासिंग प्लेस हेतु 9 मीटर चौड़ाई मे की गई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-15 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के चिन्यालीसौड ब्लाक में ग्राम कटखण कोड संख्याः 0057300 जनसंख्या 251 (वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार) को मोटर मार्ग से जोड़ने हेतु राज्य राजमार्ग बादसी गौलोकधाम खाण्ड मोटर मार्ग से कटखण मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना है। इस हेतु ग्राम्य विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून के कार्यालय ज्ञाप संख्याः पी 1414/पी03-14/ यू0आर0आर0डी0ए0/14, दिनांक 07 नवम्बर 2014 द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई है। वर्तमान में इस गांव हेतु एक मात्र पैदल मार्ग ही उपलब्ध है, जिससे ग्राम वासियों को आवागमन, स्वास्थ्य, शिक्षा व घरेलू उपयोग की सामग्री के ढुलान हेतु अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है व गांव की पैदा होने वाली नगदी फसल को बाजार तक न पहुँचने से आर्थिक नुकसान भी हो रहा है।मार्ग निर्माण हेतु आरक्षित वन क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प न होने के कारण यह मार्ग आरक्षित वन भूमि के अन्तर्गत 1100.00 मीटर, 172.00 मीटर सिविल वन भूमि तथा 928.00 मीटर नाप भूमि में निर्मित होकर कटखण तक निर्मित किया जायेगा।

अतः 2.200 कि0मी0 लम्बाई में गाम्य विकास विभाग के मानकों के अनुसार 7/9 मी0 चौडाई में आने वाली आरक्षित वनभूमि एवं सिविल सोयम भूमि 0.890 है0 ग्रम्य विकास विभाग को हस्तांतिरत करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत यह प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।

कनिष्ठ अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0,	पी0एम0जी0एस0वाई0,	पी0एम0जी0एस0वाई0,
सिचाई खण्ड, उत्तरकाशी	सिचाई खण्ड, उत्तरकाशी	सिचाई खण्ड, उत्तरकाशी